दर्शाया गया है। [देखिए परिशिष्ट 153, अनुपत्र संख्या 25]

(ग) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुख को रोकने के कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दे रही है। इस उद्देश्य से दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों उपाय किये जा रहे हैं। व्यापक वृहत आर्थिक मोर्चों पर उपाय करने जैसे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को कम करने के लिये प्रयास करना तथा राजकोषीय अनुशासन के अलावा सरकार द्वारा दबाव में रहने वाली कुछ खास आवश्यक वस्तुओं जैसे खादय तेलों, दालों, चाय, चीनी, तथा सीमेंट आदि के बारे में विशेष उपाय किये गये हैं।

सरकार द्वारा किए गए उपायों में मोटे तौर पर ये शामिल हैः— आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाना, खाद्यान्नों की कारगर वसूली तथा सुरक्षित भण्डार बनाने के कार्य करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, मूल्यों तथा उपलब्धता की स्थिति की परिवीक्षा करना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों तथा अन्य नियामक उपायों को लागू करना तथा विदेशी मुद्रा की व्यापक अड़चनों को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं आवश्यक हो, आयात के जरिए देशीय आपूर्ति में वृद्धि करना।

---

12 NOON

LEAVE OF ABSENCE

THE DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform you that the Hon. Chairman has received a letter from Maulana Asad Madni to the effect that he is going abroad for medical treatment and is, therefore, unable to attend the current session. He has requested for grant of leave of absence from all the sittings of the House during the current session.

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Maulana Asad Madni for remaining absent from all meetings of the House during the current session?

(No hon. Member dissented)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Administration Report (1988-89) of the Delhi Development Authority and related papers.

II. Accounts (1988-89) of the Delhi Development Authority and related papers.

III. Report (1989-90) of the National Capital Region Planning Board.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): Madam, I lay on the Table—

I. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under section 26 of the Delhi Development Act, 1957:—

(a) Annual Administration Report of the Delhi Development Authority for the year 1988-89.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at 1(a) above. [Placed in Library. *See* No. LT 1160/90 for (1) and (2)]

II. (1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of section 25 of the Delhi Development Act, 1957:—

(a) Annual Accounts of the Delhi Development Authority for the year 1988-89 and the Auditor's Report Thereon.

(b) Review by Government on the working of the Authority.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at 1(a) above. [Placed in Library. *See* No. LT 1160/90 for (1) and (2)]

III. A copy each (in English and Hindi) of the Fifth Annual Report of the National Capital Region Planning Board, for the year 1989-90, under section 26 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. [Placed in Library. *See* No. LT 1161/90 (1) and (2)]

I. Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Rules, 1990 and related papers.

II. Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulation, 1990 and related papers.

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

I. डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986 की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) नियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 79(अ) दिनांक 16 फरवरी, 1990।

(ii) डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम, 1990 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० सं० 80(अ) दिनांक 16 फरवरी, 1990।

II. ऊपर (I) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) [Placed in Library. *See* No. LT 1162/90 for I and II]

Report and Accounts (1988-89) of the National Centre for Management of Agricultural Extention (Manage.), Hyderabad and related papers.

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:—

(i) 1988-89 के वर्ष के लिए नेशनल सेन्टर फार मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (मैनेज०), हैदराबाद का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ii) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(iii) ऊपर (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) [Placed in Library. *See* No. LT 1171/90 for (i) to (iii)]

I. Railway Accidents (Compensation) Rules, 1990.

II. Railways (Extent of Monetary Liability and Prescription of Percentage Charge) Rules, 1990.

THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): Madam, I lay on the Table, under Section 199 of the Railways Act, 1989, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Railways:—

(i) G.S.R. No. 552(E), dated the 7th June, 1990, publishing the Railway Accidents (Compensation) Rules, 1990.